न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS

प्रकरण संख्या : 03/2023
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2023/3

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – दॉ रुबी, दसवी मंजील, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट), मुम्बई 400028 शाखा कार्यालय युनिट/ ऑफिस नंबर 1008, 11 वी मंजील, वेस्टएंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058	बनाम	1. श्री दलीचन्द कलाल पुत्र श्री वेलजी कलाल पता वार्ड नं.1, पुराना बस स्टेण्ड, गोविन्द नगर, प्रतापपुर, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी) 2. श्रीमती शान्ति देवी कलाल पत्नि श्री दलीचन्द कलाल, पता वार्ड नं.1 पुराना बस स्टेण्ड, गोविन्द नगर, प्रतापपुर, बॉसवाडा (सहऋणी)

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

दिनांक :– 16–08–2023

प्राधिकृत अधिकारी असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – दॉ रुबी, दसवी मंजील, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट), मुम्बई 400028 शाखा कार्यालय युनिट/ ऑफिस नंबर 1008, 11 वी मंजील, वेस्टएंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बजाज हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड से जरिये ऋण करार 1– श्री दलीचन्द कलाल पुत्र श्री वेलजी कलाल पता वार्ड नं.1, पुराना बस स्टेण्ड, गोविन्द नगर, प्रतापपुर, बॉसवाडा (राज.) (ऋणी) 2– श्रीमती शान्ति देवी कलाल पत्नि श्री दलीचन्द कलाल, पता वार्ड नं.1 पुराना बस स्टेण्ड, गोविन्द नगर, प्रतापपुर, बॉसवाड़ा (सहऋणी) को दिनांक 27–09–2017 को 3[illegible]482 [illegible] लाख पिच्चासी हजार चार सौ

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:01 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

(ब) [illegible] तलफ किया गया ____

13. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है ____

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया ____

14. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ करना है ____

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'ए' तलफ किया गया ____

बयासी रुपया) ऋण राशि स्वीकृत की थी। अप्रार्थीगण नियमित रुप से उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीक्रम व अतिदेय होने पर दिनांक **07–05–2021 को** अक्रियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है। अप्रार्थीगणो के खाते **दिनांक 03–12–2021 तक कुल बकाया राशि 302331.47.16 रू.** एवं तत्पश्चात ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि के भुगतान के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। अप्रार्थी ने ऋण राशि व उसके ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रुप में अपनी अचल सम्पत्ति को रहन किया। अचल सम्पत्ति **श्री दलीचन्द पुत्र वेलजी के स्वामित्व की ग्राम परतापुर, दर्जी व बोहरा समाज की दुकानात, चुंगी नाका, जिला बांसवाडा में स्थित है। जिसका कुल क्षैत्रफल 47 वर्गगज** है, को बतौर प्रतिभूति स्वरूप बन्धक रखा गया था, उसे आधिपत्य में लेने के लिए तथा उससे सम्बन्धित यदि कोई कागजात ऋणी/गारंटर के पास उपलब्ध हों तो उसे उपलब्ध कराने के लिए सहयोग हेतु निवेदन किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक गैर बैंकिंग विभाग, केंद्रीय कार्यालय, विश्व व्यापार केन्द्र, मुंबई का पंजीकरण प्रमाण पत्र सं 01/2023 दिनांक 29.08.2003 अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कंपनी है, जो कि वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2002 की धारा 3 के प्रावधानो के अन्तर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया से रजिस्टर्ड है। जिसकी प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण के ऋण खाता मूल ऋणदाता कम्पनी फायनेंस लिमिटेड द्वारा अप्रार्थीगण के द्वारा रखे गये ऋण वसूली हेतु मय राईट टाईटल और ईन्टरेस्ट के अधिकारो सहित प्रार्थी कम्पनी को वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2 के प्रावधानो के अन्तर्गत जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेंट

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:01 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 24.06.2021 के हस्तांतरित किया गया है। एग्रीमेंट की प्रति संलग्न है। साथ ही प्रकरण 20- प्रतिशत से अधिक एवं 1 लाख से अधिक ऋण बकाया होने के कारण सरफेसी एक्ट 2002 त अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में संस्था पात्र है।

प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत दिनांक **07-12-2021** व ऋणी अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किया गया। जिसका प्रकाशन दो समाचार पत्रो मे दिनांक 03.0 2022 को प्रकाशित किया गया। जिस पर उसने कोई जवाब या कार्यवाही नही की व उसने ऋ राशि भी जमा नही करवाई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु विधिवत नोटि दिनांक 03-01-2023 को जारी किये। दिनांक 02-02-2023 को अप्रार्थी सं. 1 का नोटिस मृत्यु ह जाने से मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति के साथ अदम तामील एवं अप्रार्थी सं. 2 का नोटिस बाद तामील प्रस्तुत हुआ। वकील प्रार्थी द्वारा विधिक वारिसन् की सूची एवं संशोधित उनवान प्रस्तुत करने समय चाहा।

दिनांक 23.06.2023 को वकील प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विधिक वारिसान् के नाम व पतो की जानकारी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में मृतक ऋणी की पत्नि अर्थात् अप्रार्थी सं. 2 को एक सूचना पत्र दिनांक 02.05.2023 को प्रेषित किया गया जो कि सम्बन्धित को प्राप्त हो चुका है परन्तु अप्रार्थी सं. 2 द्वारा प्रा... की मृतक विधिक वारिसान के नाम व पते उपलब्ध नही करवाये है, जिससे यह प्रतीत होता ... अप्रार्थी सं.2 उनकी धर्मपत्नी ही मृतक दलीचन्द कलाल के विधिक वारिसान है। जो कि उक्त प्रकरण में पहले से ही पक्षकार व रेकार्ड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:01 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

13. (अ) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ करना है ————————

(ब) तारीख जिस पर कि हिस्सा 'बी' तलफ किया गया ————————

है। कानूनी प्रावधानो के अनुसार उक्त प्रकरण 60 दिवस में निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा उक्त प्रकरण में 60 दिवस से अधिक की अवधि व्यतित हो चुकी है तथा उक्त प्रकरण में बहुत बडी बकाया ऋण राशि भी शामिल है, जो कि पब्लिक मनी है।

दिनांक 16–08–2023 को प्रार्थी अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। ऋणी अप्रार्थी सं.1 के अदम तामिल शुदा नोटिस के संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र एवं नोटिस पर रिपोर्ट अनुसार ऋणी अप्रार्थी श्री दलीचन्द कलाल पिता वेलजी कलाल की मृत्यु दिनांक 28.12.2020 को हो चुकी है। जिसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय – दॉ रुबी, दसवी मंजील, 29 सेनापति बापत मार्ग, दादर, (वेस्ट), मुम्बई 400028 शाखा कार्यालय युनिट/ ऑफिस नंबर 1008, 11 वी मंजील, वेस्टएंड मॉल, जनकपुरी डिस्ट्रीक्ट सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली 110058 की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया तथा मृतक श्री दलीचन्द कलाल पिता वेलजी कलाल को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी असेट री–कन्स्ट्रेक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड की ओर से ऋणी की मृत्यु के पश्चात् ऋणी की उपरोक्त प्रतिभूति आस्ति का कब्जा लेने में सहायता बावत् निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरम्भ से ही शून्य है। फिर भी न्यायहित तथा लोक हित को देखते हुए प्रार्थी अधिवक्ता को मृतक ऋणी श्री दलीचन्द कलाल के विधिक वारिसान् की सूचना प्रस्तुत करने पाबंद किया गया परन्तु प्रार्थी कम्पनी द्वारा दिनांक 02.05.2023 को ऋणी की पत्नि श्रीमती शान्ति देवी कलाल को एक सूचना पत्र जारी कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:01 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
बांसवाड़ा (राज.)

इतिश्री कर दिया गया। दौराने सुनवाई प्रार्थी अधिवक्ता ने मृतक ऋणी श्री दलीचन्द कलाल के विधिक वारिसान की सूची उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की है। किसी मृतक के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना कानूनी रुप से पोषणीय नही होने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियो का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16–08–2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2024.01.09 11:01:01 IST
Reason: SelfAttested